E Content for the Student of Patliputra University

Subject — Political Science

Class B.A.(Hons.) Part – I Paper – I

Topic – Concept of Welfare State

Dr Umesh Chandra Shukla
Associate Prof. Political Science
R.R.S. College, Mokama

राज्य के संबंध में कई अवधारणाएँ प्रचलित हैं। वर्तमान अवधारणा लोक कल्याणकारी राज्य का है। लोक कल्याणकारी राज्य इस अवधारणा पर आधारित है कि, राज्य का उद्देश्य अपने नागरिकों का अधिकतम कल्याण करना हो। अर्थात यह राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को मानता है, राज्य को उसके विकास का साधन। इसका अर्थ यह नहीं कि यह व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है। यह व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने का पक्षधर नहीं है। इसका उद्देश्य "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" है।

प्रायः बहुत सारे चिंतकों ने लोककल्याणकारी राज्य की सहानुभूति अपने चिंतनों में व्यक्त किया है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक "अर्थशास्त्र" में राजा का कर्तव्य प्रजा के "कुशल क्षेम" पर ध्यान देना है। यह "कुशल क्षेम" और कुछ नहीं लोककल्याणकारी राज्य ही है। भीष्म पर्व में भीष्म युधिष्ठिर को प्रजा के कल्याण पर जोर देने का उपदेश देते हैं। प्रजा के हित में कार्य करने वाला राजा ही सत्ता का अधिकारी है अन्यथा प्रजा विद्रोह कर सकती है। देवता भी उसी राजा से प्रसन्न होते हैं जो प्रजा को राज्य में सुख सुविधा प्रदान करने में सदा तत्पर हो। सम्राट अशोक द्वारा जन कल्याण के लिए किये गये अनेक कार्यों का उल्लेख मिलता है। ऐसे अनेक आख्यान भारतीय धर्मग्रंथों में वर्णित है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशीला विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि उन दिनों भारतीय राज्य लोककल्याण की भावना से कितने प्रभावित थे।

पाश्चात्य चिंतकों ने भी लोककल्याणकारी राज्य की पृष्ठभूमि अपने विचारों से तैयार की है। प्लेटो के आदर्श राज्य, रूसो की सामान्य इच्छा आदि जैसे विचार इसी का समर्थन करते हैं।

महात्मा गाँधी का राम राज्य प्रतीकात्मक रूप में लोक कल्याणकारी राज्य ही है। भारतीय संविधान में भी लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना के संकल्प के साथ लागू किया गया है।

लोक कल्याण का अर्थ यह भी है कि राज्य के संसाधनों का विभाजन इस रूप में किया जा सके जिससे सभी लोगों विशेषकर नीचे के पायदान पर रहने वाले लोगों को इसकी उपलब्धियाँ प्राप्त हो सके। गाँधी जी ने इसी संदर्भ में अन्त्योदय की अवधारणा दी थी। उनकी दृष्टि थी कि वे भी स्वराज की प्राप्ति का अनुभव कर सकें, यह तभी संभव है जब वे यह महसूस कर सकें कि वे अपने विकास का रास्ता वे बना सकते हैं और राज्य इस कार्य में उनके साथ है।

भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों तथा नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से लोक कल्याण के अनेक प्रावधानों का प्रबंध किया गया है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित अवसर की समानता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, छुआछूत का अंत, बंधुत्व की घोषणा, सामाजिक न्याय आदि शब्दों की अंतर्निहित भावनाएँ लोक कल्याण के सिद्धांत का बीज सिद्धांत है।

इसी प्रकार मौलिक अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत पिछड़े तथा सम्यक प्रतिनिधित्व नहीं होने वाले वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान, विशेषाधिकारों की समाप्ति, सामाजिक समानता तथा कानून के समक्ष सभी की समानता भी लोक कल्याणकारी राज्य की ओर ही संकेत करता है।

नीति निदेशक तत्वों में शिक्षा का प्रावधान, समान नागरिक संहिता, सामाजिक संरक्षण, वृद्धों पर विशेष ध्यान दिया जाना, महिलाओं को संरक्षण, पंचायती राज को

— / — / —

स्थापना आदि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए ही है।

भारत में लोक कल्याणकारी राज्य के प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधान देखे जा सकते है —

(1) शिक्षा के क्षेत्र में — शिक्षा के क्षेत्र में सबों को शिक्षित करना, उच्च शिक्षा का प्रबंध सबों के लिए करना, महिला शिक्षा को बढ़ावा, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, विद्यालयों में मध्यान भोजन का प्रबंध, आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय तक लाना और पढ़ाना। पुस्तकालय खेलकूद, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा आदि। उच्च शिक्षा हेतु छात्रों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराना। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों के लिए रोजगार हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(2) स्वास्थ्य के क्षेत्र में — स्वास्थ्य के क्षेत्र में नागरिकों को अस्पतालों में सामान्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, आयुष्मान भारत के तहत रोगी बिमारियों के खर्च का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना। चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, आयुर्वेदिक, यूनानी होमियोपैथी चिकित्सा को बढ़ावा देना।

3. सामाजिक क्षेत्र में — वृद्धा व्यक्तियों को बढ़ावा, वृद्धा पेंशन देना, महिलाओं को रोजगार के नये अवसर सृजित करना। अस्वाभाविक मौत, दुर्घटना से मौत, महामारी से मौत आदि में सरकार द्वारा आश्रितों को अच्छी राशि उपलब्ध कराना। सरकारी आवास योजना द्वारा गरीबों को पक्के मकान, शौचालय, जल का प्रबंध आदि।

4 कृषि क्षेत्र में — इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में विकास हेतु बैंकों से कृषि ऋण, उत्तम बीज, मछली पालन, गौ पालन, आदि के कार्यक्रम डेयरी, उद्योग को बढ़ावा डीजल अनुदान के माध्यम से किसानों की स्थिति में सुधार का प्रयास।

5. रोजगार — ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में छोटे एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बैंकों से ऋण तथा अनुदान का प्रबंध किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा कार्यक्रम इसी उद्देश्य से लागू है।

6. सुविधा की अन्य सुविधाएँ — सड़क, बिजली, यातायात के साधन, आदि के क्षेत्र में जन सुविधाएँ बढ़ाकर लोककल्याण के क्षेत्र में कार्य किये जाते हैं।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा को न केवल एक अवधारणा के रूप में बल्कि व्यवहार में भी भारत में अपनाया जाता है। समाजवाद व लोकतांत्रिक राज्यों के साथ लोककल्याणकारी राज्य पर्याय के रूप में जुड़ी होती है।